कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जिला-दुर्ग, (छत्तीसगढ़)

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023

फोन नं - 0788-2350125, ई-मेल: **Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in**

क्र./स्टे.आयु./ **GENCOR/6938/2025** भिलाई, दिनांक /12/2025

प्रति,

सर्व विभाग प्रमुख/ अधिकारी/ कर्मचारी

....

....

नगरपालिक निगम

भिलाई

विषय:- वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को कार्यालयीन भाषा अनुसार संबोधित किए जाने के संबंध में निर्देश।

- 00 -

उपरोक्त विषयांतर्गत यह देखा व सुना गया है कि कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपने से वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधियों को रिश्तों 'भैय्या' शब्द से संबंधित शब्दों का संबोधन किया जाता है जो कि कार्यालयीन व्यवस्था अनुसार उचित नहीं है। नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालयीन कार्यों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संवाद/पत्राचार करते समय मर्यादित, शिष्ट एवं निर्धारित कार्यालयीन भाषा का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

कार्यालयीन अनुशासन एवं शासकीय शिष्टाचार बनाए रखने हेतु निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करे:-

1. समस्त पत्राचार , आवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन, नोटशीट एवं मौखिक संवाद में वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उनके पदनाम सहित सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए।
2. किसी भी स्तर पर असंयमित , अनौपचारिक, अमर्यादित अथवा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग न किया जाए।
3. पत्रों में संबोधन हेतु प्रचलित कार्यालयीन शब्दावली जैसे:- "माननीय", "श्रीमान", "महोदय", "माननीया महोदया" आदि का प्रयोग पदानुसार किया जाए।
4. मौखिक संवाद के दौरान भी शासकीय गरिमा एवं कार्यालयीन मर्यादा बनाए रखी जाए।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by
Rajeev Kumar Pandey
Date: 01-01-2026
18:40:32

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई